2019/00205

निर्णय ब इजलास जगरूप सिंह यादव आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 301/2019 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

इण्डियन ओवरसीज बैंक चौरंगी ब्रान्च 9, C.R- Avenue, फस्ट फ्लोर, कोलकाता ।

प्रार्थी

बनाम

1. मैसर्स सेन्ड स्टोन इन्फाप्रोजेक्ट, प्रा॰ लि॰
   आशा भवन द्वितीय फ्लोर 63 बी, कालेज स्ट्रीट, कोलकाता
2. श्रीमती शशि अग्रवाल
3. सचिन अग्रवाल
   श्री परमानन्द अग्रवाल के विधिक वारीसान
   निवासी आशा भवन, द्वितीय फ्लोर 63 बी, कालेज स्ट्रीट, कोलकाता
4. दिनेश राज बग्गा
   निवासी जी–243, ब्लॉक–जी, नारायण विहार, न्यू देहली

अप्रार्थी ऋणी
एवं गारन्टर

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act.2002.

उपस्थित:–श्री विजेन्द्र कुमार अधिवक्ता प्रार्थी बैंक की ओर से ।

आदेश दिनांक 3-10-2019

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को 15.02.2010, 23.12.2014 एवं 27.07.2015 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में श्री परमानन्द अग्रवाल के स्वामित्व की सम्पत्ति बेसमेन्ट ग्राउण्ड फ्लोर एण्ड फस्ट फ्लोर हाउस/प्लाट नं॰ 09(नोर्थन पोर्शन) बिचून बाग संसार चन्द्र रोड बिहाईण्ड ताम्बी टावर जयपुर क्षेत्रफल 341.76 वर्ग मीटर को बन्धक बना कर कुल 28.39 करोड रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 27.07.2016 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enoforcement of security interest Act.2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर न्यायहित में ऋणी को सूचना पत्र रजिस्टर्ड जारी किया गया। अप्रार्थी ऋणी उपस्थित नही है।
3. प्रार्थी के विभागीय प्रतिनिधि को गौर सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

4. प्रकरण में प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणियों को दिनांक 27.07.2016 को धारा 13 (2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया। इसके बावजूद अप्रार्थीगण द्वारा बकाया ऋण राशि का भुगतान नहीं किया गया है। अप्रार्थी ऋणी को धारा 13 (2) का नोटिस की अभिस्वीकृति/प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत की गई है। अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enoforcement of security interest Act.2002. की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी श्री परमानन्द अग्रवाल के स्वामित्व की सम्पत्ति बेसमेन्ट ग्राउण्ड फ्लोर एण्ड फस्ट फ्लोर हाउस/प्लाट नं. 09 (नोर्थन पोर्शन) बिचून बाग संसार चन्द्र रोड बिहाईण्ड ताम्बी टावर जयपुर क्षेत्रफल 341.76 वर्ग मीटर का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।
5. आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर दाखिल दफ्तर हो ।
6. आदेश आज दिनांक 3-10-2019 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(जगरूप सिंह यादव)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर